

आदेश से रीडर

11/5/17

पत्रावली न्याय आपवे द्वार विन्य कोर्ट में प्रस्तुत हुई।  
वादी अनुपास्थित। कदम हाजिरी में रवाजि की जाती है।  
पत्रावली पैसल शुमार लेबुद नंबर से वस हो। पत्रावली  
दाखिल हफ्ता हो।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा